

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकण

बनाम बिना राजन

बुनड

संख्या / वर्ष

:

२५४ / २० २३

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२२/०२/२३	<p>पत्तावली पेश हुई वही वही वारी शेखर चौधरी दाजीरा अग्रणी स. ३ व ५ की ओर ले शुभम एड. दाजीरा अग्रणी स. ६ व ७ व ८ व ९ अग्रणी स. १० व ११ को सम्मन जारी जात है मेल एड गैर ले आवेड का सम्मन हो चुका है, सम्मन अदम तामिल होकर प्राप्त नहीं हुए हैं।</p> <p style="text-align: right;">अतः अग्रणी स. १० व ११ सम्मन तामिल के उपरान्त दाजीर नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अग्रणी ३, ५ व ७ का जवाब बंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">कहा उपपत्तों की प्र. पह पर लगी गई कस वही पक्षी वी बुनड पर हम पाते हैं कि पक्षी व अग्रणी सहभागी पर है व विवादि सुनि का कस विधि का विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p style="text-align: right;">अतः वाद की कसुलता को शक्य व वाद की विषय-वस्तु को कस रखने के लिए प्र. पह के पक्ष में में उल्लेखित सुनि पर उपपत्तों को वादे सहवाद मौके की यथास्थिति कस रखने हेतु पक्ष बंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">पत्तावली के शुभम दोहर के नम्बर के कस हो</p>	